## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) (Income-tax)

Notification

New Delhi, the June, 2016.

S.O.\_\_\_\_\_ (E). In exercise of the powers conferred by clause (23EE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Core Settlement Guarantee Fund, set up by Indian Clearing Corporation Limited (ICCL), Mumbai, a recognised clearing corporation, for the purposes of the said clause, for the assessment year 2016-17 and subsequent assessment years.

(Notification No. <u>50</u>/2016, F.No. 197/47/2015-ITA-I)

(DEEPSHIKHA SHARMA) Director, Government of India

To

The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri Industrial Area, (Near Rajori Garden), New Delhi. [भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (आयकर) अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 2016

का.आ. (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23 इ.इ.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'कोर सेटलमेंट गारंटी फंड', जिसकी स्थापना इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई, जो कि एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कारपोरेशन है, के द्वारा की गई है, को आकलन वर्ष 2016-17 और उसके बाद के आकलन वर्षों के लिए अधसूचित करती है।

(अधिसूचना सं.

/2016, फा.सं. 197/47/2015-आईटीए-1)

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, (निकट राजौरी गार्डेन), नई दिल्ली।